चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा/डी0आर0/8502
दिनांक : 24.01.2024

विज्ञप्ति

एन0ई0पी0 2020 के अन्तर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रत्येक सेमेस्टर में एक-एक को करिकूलर विषय है जो छात्रों द्वारा उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक है। यद्यपि इस विषय के अंक डिविजन/प्रतिशत में सम्मिलित नहीं होते हैं परन्तु इन विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र उपाधि पूर्ण करने से वंचित रहेगा। वर्तमान व्यवस्था में को करिकूलर विषय की विश्वविद्यालय परीक्षा के पूर्णांक 75 में से कम से कम 30 अंक प्राप्त करने तथा आन्तरिक एवं विश्वविद्यालय परीक्षा में मिलाकर 40 अंक प्राप्त करने वाले ही छात्र उत्तीर्ण माने जाते हैं।

सत्र दिसम्बर, 2022 प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के अत्यधिक छात्र को करिकूलर विषयों की विश्वविद्यालय परीक्षा में निर्धारित 30 अंक प्राप्त न कर पाने के कारण अनुत्तीर्ण है।

व्यापक छात्रहित में उक्त उत्तीर्णांक को शिथिल किये जाने हेतु विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 18.01.2024 में प्रस्ताव दिया गया जिस पर विश्वविद्यालय विद्वत परिषद द्वारा मद संख्या-12 में निम्नानुसार संकल्प पारित किया गया :-

" व्यापक छात्रहित एवं को करिकूलर विषयों को अन्तर्विषयात्मकता के दृष्टिगत विद्वत परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि समस्त को करिकूलर विषयों में विश्वविद्यालय परीक्षा एवं आन्तरिक परीक्षा मिलाकर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र उत्तीर्ण माने जायेंगे अर्थात विश्वविद्यालय परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक का कोई प्रावधान नहीं होगा। यह व्यवस्था सत्र 2021-22 से ही लागू मानी जाये। ऐसे छात्र जो उक्त व्यवस्था के पश्चात भी को करिकूलर विषय में अनुत्तीर्ण रहते हैं को बैक पेपर परीक्षा में पुनः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। "

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे छात्र जिन्होंने आन्तरिक एवं विश्वविद्यालय परीक्षा में मिलाकर 40 अंक अर्जित कर लिये हैं, को करिकूलर विषय में उत्तीर्ण माने जायेंगे। किन्तु ऐसे छात्र जो अभी भी 40 अंक प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं को बैक पेपर भर पुनः परीक्षा में सम्मिलित हो परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

विश्वविद्यालय पत्र संख्या : गोप0/1867, दिनांक 25.10.2023 जिसके द्वारा स्नातक (एन0ई0पी0-2020) पाठ्यक्रमों के नियम निर्गत किये गये थे के बिन्दु संख्या-2.7 को उपर्युक्त आशय हेतु संशोधित माना जाये।

24-01-2024

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. वयैक्तिक सहायक, कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, समस्त सम्बद्व महाविद्यालय/संस्थान/विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. समस्त संकायाध्यक्ष, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. उप कुलसचिव (गोपनीय)।
05. प्रभारी-कमैटी सेल/अति गोपनीय विभाग/रिजल्ट सैल।
06. प्रभारी-कम्प्यूटर केन्द्र/विश्वविद्यालय वेबसाईट।
07. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेन्सी को इस आशय के साथ प्रेषित कि समस्त नियमों/अर्हता के अनुरूप ही उपर्युक्त सन्दर्भित परीक्षा फार्म भरवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
09. सम्पादक, समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त महत्त्वपूर्ण सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्रों के **सभी संस्करणों में विशेष स्थान देते हुए**, छात्रहित में, निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
10. विश्वविद्यालय पूछताछ-केन्द्र/सूचना पट।

24/01

उप कुलसचिव (परीक्षा)